

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement no. 8/6604
II-14-15/90

Jabalpur, dated 12/09/2023

The copy of the Madhya Pradesh Gazette dated 23.06.2023 containing amendments in **“The Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules”**, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable the Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, all in the State, With a request to bring the same into the knowledge of all the Judicial Officers under your kind control for information and necessary action;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Member Secretary, SCMS, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
10. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.


(SANTOSH PRASAD SHUKLA)
REGISTRAR District Establishment

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जून 2023

फा.क्रमांक 3106/21-ब(एक)/2023, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;
- (ग) "सीधी भरती" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 3 (1) के प्रवर्ग (एक) में के पदों पर नियम 5 (1) में विहित रीति में की गई सीधी भरती;
- (घ) "नियम विरुद्ध आचरण अथवा अनुचित साधनों का उपयोग करना" से ऐसा कोई साधन निर्दिष्ट है, जिसके प्रयोग या जिसके प्रयास द्वारा परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा मौखिक परीक्षा को प्रभावित किया जाए;
- (ङ.) "सरकार", "राज्यपाल" तथा "राज्य" से अभिप्रेत है क्रमशः मध्यप्रदेश सरकार, मध्यप्रदेश के राज्यपाल तथा मध्यप्रदेश राज्य;
- (च) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय;
- (छ) "भर्ती प्राधिकारी" से अभिप्रेत है उच्च न्यायालय का परीक्षा प्रकोष्ठ;
- (ज) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा।"

2. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"3. सेवा का गठन.-

(1) सेवा का गठन निम्नलिखित प्रवर्गों से मिलकर होगा, अर्थात्:-

(एक) सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर)

रू.77480-136520 स्तर J-I

- (दो) सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (ग्रेड-II) । एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.)

रू. 92960-136520 स्तर J-II

(5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् नॉन फंक्शनल)

- (तीन) सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड (ग्रेड-I) ॥ एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.)

रू. 111000-163030 स्तर J-III

(5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् नॉन फंक्शनल)

- (चार) सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड (पदोन्नति संवर्ग)

रू. 111000-163030 स्तर J-III

- (पांच) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, (ग्रेड-II) वरिष्ठ खण्ड/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् । एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.)

रू. 122700-180200 स्तर J-IV

- (छह) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, (ग्रेड-I)/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ॥ एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए.सी.पी.)

रू. 144840-194660 स्तर J-V

- (2) सेवा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा:-

(क) ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय सिविल न्यायाधीश का पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हैं।

(ख) ऐसे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा के लिए हकदार हैं।

3. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“5. नियुक्ति का तरीका तथा नियुक्ति प्राधिकारी.-

- (1) नियम 3 (1) के प्रवर्ग (एक) में सभी नियुक्तियां उच्च न्यायालय की अनुशांसा के अनुसार सीधी भरती द्वारा चयन होने पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- (2) अभ्यर्थी पर उच्च न्यायालय द्वारा संचालित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर विचार किया

जाएगा। अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षाएं/मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित करने के लिए प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम उच्च न्यायालय द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।

- (3) प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है।
 - (4) मुख्य परीक्षा में सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम कुल 50 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को कम से कम कुल 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है।
 - (5) अभ्यर्थियों ने मौखिक/साक्षात्कार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
 - (6) अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा और मौखिक/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम तैयार किया जाएगा।
 - (7) अभ्यर्थियों के चयन के लिए उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर परीक्षा उच्च न्यायालय द्वारा यथा संभव प्रति वर्ष आयोजित की जाएगी।
 - (8) सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन के संवर्ग में नियुक्ति, उच्च न्यायालय द्वारा सिविल न्यायाधीशों में से, जिन्होंने सतत् सेवा के 5 वर्ष पूर्ण किए हों, योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी।
 - (9) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 12 के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर, सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड में से की जाएगी।
 - (10) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन (दो), (तीन), (पांच) और (छह) संवर्ग में यथाउपबंधित आरवासित कैरियर उन्नयन वेतनमान (ए.पी.सी. स्केल्स) उच्च न्यायालय द्वारा सेवा के सदस्यों को उनकी सेवा तथा निष्पादन के अंकन और उक्त उप-नियम में यथा उपदर्शित सतत् सेवा की अपेक्षित कालावधि पूर्ण करने पर, प्रदान की जाएगी।”।
4. नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “(5क) चयन सूची की वैधता की अवधि: नियम 3(1) के प्रवर्ग (एक) के अधीन नियुक्ति की दशा में, किसी भर्ती वर्ष में परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची, चयन सूची की घोषणा की तारीख से 12 माह तक वैध रहेगी।”।
5. नियम 6 में विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांगजन के लिए पदों का आरक्षण।”। और नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाए, अर्थात्:-

“6 अ 6 प्रतिशत (छह प्रतिशत) पद, प्रमस्तिष्क घात को अपवर्जित करते हुए चलन दिव्यांगता जिसमें प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, पेशीय दुष्पोषण और तेजाब आक्रमण सम्मिलित है पीड़ित व्यक्तियों के लिए, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अधीन विनिर्दिष्ट है, केवल प्रारंभिक भर्ती के समय, क्षैतिज रूप से आरक्षित रखे जाएंगे:

परन्तु यदि उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण दिए गए भर्ती वर्ष में ऐसे आरक्षित पद या उनमें से कोई पद भरा नहीं जाता है तो ऐसी रिक्त आगामी भर्ती के लिए अग्रणीत की जाएगी और यदि उसके बाद कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो वे अनारक्षित पदों के रूप में माने जाएंगे।

6 ब बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति के सिवाय कोई अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य का वास्तविक निवासी (मूल निवासी) न हो, सभी प्रकार से सामान्य श्रेणी का माना जाएगा।”।

6. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“7. पात्रता:-

कोई भी व्यक्ति नियम 3 (1) के प्रवर्ग (एक) में के पदों पर सीधी भरती द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि:-

- (क) वह भारत का नागरिक न हो;
- (ख) वह अच्छे चरित्र तथा अच्छे स्वास्थ्य का न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराता हो;
- (ग) उसने उस वर्ष के आगामी वर्ष की, जिसमें कि नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;
- (घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उच्चतर आयु सीमा को अधिकतम तीन वर्ष तक शिथिलीय होगी;
- (ङ.) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक हैं (चाहे स्थायी हो या अस्थायी) की उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) यदि मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा की भरती एक वर्ष या अधिक तक नहीं होती है, तो अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा वर्षों की समुचित संख्या तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) वह भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि धारण नहीं करता है:

परन्तु उसने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख को कम से कम तीन वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में लगातार विधि व्यवसाय किया हो।

या

विधि में पांच/तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक केरियर के साथ कोई असाधारण विधि स्नातक, सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग की दशा में जिसने समस्त परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में कुल मिलाकर कम से कम 70 प्रतिशत अंक और आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों।

टीप:- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नियम 7 के अधीन लाभ चाहने के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

- (एक) इस उपबंध का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही विधिमान्य होगा;
- (दो) पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को आवेदक की सक्षमता 40 प्रतिशत से कम होगी।”।

7. नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“8. निरर्हता.-

- (1) कोई अभ्यर्थी जो कि यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी अथवा भरती प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण अथवा गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा गलत या झूठे बयान प्रस्तुत करे अथवा परीक्षा अथवा साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करे अथवा अनियमित तरीके से साक्षात्कार अथवा परीक्षा में प्रवेश करने का दोषी पाया जाए, आपराधिक अभियोजन के लिए दायी होने के अतिरिक्त.-

- (क) यथास्थिति भर्ती प्राधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश अथवा
- (ख) उम्मीदवार के चयन हेतु भर्ती प्राधिकारी द्वारा लिए जा रहे किसी साक्षात्कार में उपस्थिति होने के लिएस्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए वंचित किये जाने का दायी होगा।

(2) ऐसा व्यक्ति सीधी भरती द्वारा नियुक्ति हेतु निरर्हित होगा, यदि वह,-

- (क) एक से अधिक जीवित पति/पत्नि रखता हो;
- (ख) किसी उच्च न्यायालय, केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो;

- (ग) किसी उच्च न्यायालय अथवा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग अथवा सरकार द्वारा संवैधानिक उपबंधों के अधीन गठित किसी सेवा चयन बोर्ड द्वारा किसी नैतिक अधमता में सिद्धदोष पाया गया हो अथवा स्थायी रूप से वंचित अथवा निरर्हित किया गया हो;
- (घ) किसी ऐसे अन्य आपराधिक मामले में संलिप्तपाया गया हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में न्यायिक अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने में उचित न हो;
- (ङ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन व्यावसायिक कदाचारण का दोषी पाया गया हो;
- (च) स्वयं के विवाह के समय दहेज लिया है या लेना स्वीकार किया गया हो।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड में शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा जो "दहेज" निषेध अधिनियम 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) में नियत किया गया है।"।

8. नियम 10 में, उप नियम (1) में शब्द "आदेश में" के स्थान पर, शब्द "आदेश में" स्थापित किया जाए।

9. नियम 11 में,-

(एक) उप-नियम (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग) उच्च न्यायालय सिविल न्यायाधीश, कन्स्टि खण्ड के मामले में, परिवीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी समय सेवा समाप्त करने की सिफरिश करने हेतु सक्षम होगा।"।

(दो) खण्ड (घ) में, द्वितीय पंक्ति में, शब्द "स्थायी" के स्थान पर शब्द "स्थायी" स्थापित किया जाए और शब्द "उपलब्ध नहीं है" के पश्चात्, चिन्ह "," जोड़ा जाए और शब्द "स्थायी" के स्थान पर शब्द "स्थायी" स्थापित किया जाए।

(तीन) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(ङ) कोई परिवीक्षाधीन तब तक परिवीक्षाधीन बना रहेगा जब तक कि यथास्थिति वह सेवा में नियमित न हो जाए या सेवोन्मुक्त न कर दिया जाए।"।

10. नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"14. वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें.- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों का मंहगाई भत्ता समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा वेतन का पुनरीक्षण (वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2003 तथा मध्यप्रदेश न्यायिक

सेवा वेतन का पुनरीक्षण (वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 2022 से शासित होंगे तथा उसी महंगाई भत्ते के फार्मूले का पालन किया जाएगा जो केन्द्र सरकार द्वारा अंगीकृत किया जा रहा है।

11. विद्यमान नियम 15 का लोप किया जाए और उसके स्थान पर, विद्यमान नियम 16 को नियम 15 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए।

12. नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“16. त्यागपत्र एवं बंधपत्र का निष्पादन.-

अभ्यर्थी परीक्षा पर नियुक्त होने पर, विहित प्रारूप में दस लाख रूपए की राशि का बंधपत्र निष्पादित करेगा और यह वचनबंध भी देगा कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वह न्यूनतम 5 वर्ष की कालावधि के लिए सेवा करेगा। यदि ऊपर उल्लिखित अवधि के पूर्व वह सेवा से त्यागपत्र देता है या अन्य रीति में सेवा छोड़ता है या वचनबंध की किन्हीं शर्तों को भंग करता है तो वचनबंध समपहत किए जाने के अधीन होगा और वह वचनबंध राशि दस लाख रूपए का भुगतान करेगा:

परंतु जहां अधिकारी पूर्व अनुमति से केन्द्र सरकार या मध्यप्रदेश राज्य सरकार में नौकरी स्वीकार करने के लिए त्यागपत्र देता है तो उससे बंधपत्र की राशि का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी।”।

13. नियम 16 क और नियम 16कक का लोप किया जाए।

14. नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“18. प्रतिनियुक्ति.- सेवा के किसी सदस्य को उच्च न्यायालय की सहमति से चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए या किसी अन्य संगठन जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः के स्वामित्व या नियंत्रण है के पद/सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा।”।

15. नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“19. शिथिल करने की शक्ति.- जहां मुख्य न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, असम्यक कठिनाई कारित होती है, तो वह, लेखबद्ध किए जाने वाले अपवादों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि आवश्यक समझी जाएं, अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा या शिथिल कर सकेगा:

परंतु जब कभी माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसी कोई शिथिलता प्रदान की जाती है तो राज्यपाल के उसकी सूचना प्रदान की जाएगी।”।

16. नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"20. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा।"

17. नियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"21. निरसन और व्यावृत्ति.—मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1955 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव, सचिव.

F.NO. 3106/XXI-B(One)/2023 – In exercise of the powers conferred by article 234 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "**Appointing Authority**" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (b) "**Commission**" means Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "**Direct Recruitment**" means direct recruitment to the posts in category (1) of sub-rule (1) of rule 3 in manner prescribed in sub-rule (1) of rule 5 of the rules;

- (d) **"Disorderly conduct or using unfair means"** refers to any means by exercising or attempting to influence the examination at any stage i.e., Preliminary Examination, Main Examination or Viva Voce;
- (e) **"Government", "Governor" and "State"** means the Government of Madhya Pradesh, the Governor of Madhya Pradesh and the State of Madhya Pradesh respectively;
- (f) **"High Court"** means the High Court of Madhya Pradesh;
- (g) **"Recruiting Authority"** means the Examination Cell of High Court;
- (h) **"Service"** means the Madhya Pradesh Judicial Service.

2. For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Constitution of Service.-

- (1) The service shall consist of the following categories, namely:-
 - (i) **Civil Judge, Junior Division [Entry Level]**
Rs.77480-136520 level J-I
 - (ii) **Civil Judge, Junior Division Grade-II, 1st ACP**
Rs. 92960-136520 level J-II
[non-functional, after completion of 5 years]
 - (iii) **Civil Judge, Junior Division Grade-I, 2nd ACP**
Rs. 111000-163030 level J-III
[non-functional, after completion of 5 years]
 - (iv) **Civil Judge, Senior Division-(Promotion Cadre)**
Rs. 111000-163030 Level J-III
 - (v) **Senior Civil Judge (Grade-II) Senior Division/Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate (1st ACP Grade after completion of 5 years in the cadre in the Senior Civil Judge).**
Rs.122700-180200 Level J-IV
 - (vi) **Senior Civil Judge Grade-I/Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate**

(IInd ACP Grade after completion of another 5 years in the cadre of Senior Civil Judge)

Rs. 144840-194660 Level J-V

(2) **The service shall consist of the following persons.-**

- (a) A person who, at the time of commencement of these rules, is holding substantially or in officiating capacity, the post of Civil Judge.
- (b) Persons entitled to the service in accordance with the provision of these rules.

3. For rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. Method of Appointment and the Appointing Authority.-

- (1) All appointments to category (i) of rule 3(1) shall be made by the Governor by direct recruitment in accordance with the recommendation of the High Court on selection.
- (2) The candidates shall be considered on the basis of the preliminary examination, main examination and viva-voce/interview conducted by the High Court. The procedure and curriculum for holding examinations/ viva-voce/interview for the selection of the candidates shall be as prescribed by the High Court.
- (3) The candidates belonging to the General and Other Backward Classess category must secure at least 60% marks and the candidates from the reserved category (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) must secure at least 55% marks in the preliminary examination.
- (4) The candidates belonging to the General and Other Backward Classess category must secure at least 50% marks and the candidates from the reserved category (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) must secure at least 45% marks in each paper and at least 50% in aggregate in the main examination.
- (5) The candidates must secure at least 40% marks in the viva-voce/interview.
- (6) The order of merit shall be prepared on the basis of the marks obtained by the candidates in the main examination and the viva-voce/interview.

- (7) Examinations shall be conducted by the High Court each year as far as possible on the basis of availability of vacancies for selection of candidates.
- (8) Appointment to the cadre of Civil Judge, Senior Division shall be made by the High Court by selection on the basis of merit-cum-seniority from amongst the Civil Judges who have completed 5 years of continuous service.
- (9) Appointment to the post of Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate under section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be made from amongst the Civil Judges, Senior Division by the High Court, on the basis of merit-cum-seniority.
- (10) Assured Career Progression scales as provided in categories (ii), (iii), (v) and (vi) under sub-rule (1) of rule 3, may be granted by the High Court to the members of the service on appraisal of their work and performance and on completion of the requisite continuous period of service as indicated in that sub-rule.

4. After rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-

"(5A). Duration of validity of the select list.-

In case of appointment under category (i) of rule 3(1), the select list of the successful candidates in the examination in any recruitment year shall be valid upto 12 months from the date of declaration of the select list."

5. In rule 6, for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

"6. Reservation of posts for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities." And After rule 6, the following rules shall be inserted, namely:-

"6A. 6% posts shall be horizontally reserved, only at the time of initial recruitment for persons suffering from locomotor disability including leprosy cured, dwarfism, muscular dystrophy and acid attack victims, excluding cerebral palsy, as specified under section 34 of the

Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016):

Provided that if such reserved posts or any of them are not filled in a given recruitment year due to non-availability of suitable candidates, such vacancy shall be carried forward into the succeeding recruitment year and if no suitable candidate is available, then they shall be treated as unreserved posts.

6B. Any candidate, except Persons with Benchmark Disability, who is not a bonafide resident (domicile) of the State of Madhya Pradesh, shall be treated as belonging to the general category in all respects.”.

6. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7. Eligibility.-

No person shall be eligible for appointment by direct recruitment to the posts in category (i) of rule 3 (1) unless,-

- (a) he is a citizen of India;
- (b) he has good character and is of sound health and free from any bodily defect which renders him, unfit for such appointment;
- (c) he has attained the age of 21 years and not completed the age of 35 years on the first day of January of the following year in which the applications for appointment are invited;
- (d) the upper age limit shall be relaxable up to a maximum of three years, if a candidate belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes and Specially Abled Persons;
- (e) the upper age limit of a candidate who is a Government Servant (whether permanent or temporary) shall be relaxable up to the age of 38 years ;
- (f) the upper age limit of a candidate shall be relaxable by the appropriate number of years, if no recruitment takes place for one year or more, to the Madhya Pradesh Judicial Service;
- (g) he possesses a Bachelor Degree in Law from a university recognized by the Bar Council of India:

Provided that he has practiced continuously as an advocate for not less than 3 years on the last date fixed for submission of the application.

Or

An Outstanding law graduate with a brilliant academic career having passed all exams in the first attempt by securing at least 70% marks in the aggregate, in the case of General and Other Backward Classes category and at least 50% marks in the aggregate in case of candidates from the reserved categories (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in the five/three years in Law.

Note:-The eligibility criteria for seeking benefits under rule 7, for Specially Abled Persons shall be as under :-

- (i) For the purpose of getting benefit of this provision, the certificate issued only by the Medical Board of Central/State Government shall be valid ;
- (ii) On the date of submitting the application for the post, the applicant's Specially Ableness shall not be less than 40%."

7. For rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Disqualification.-

- (1) A candidate who is or has been declared by the Recruiting Authority or the Appointing Authority, as the case may be, guilty of impersonation or of submitting fabricated or tempered documents or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or using or attempting to use unfair means in the examinations or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examinations or appearance at the interview shall, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be debarred either permanently or for a specified period,-
 - (a) by the Recruiting Authority or the Appointing Authority, as the case may be, from admission

to any examination or appearing at any interview held by the Recruiting Authority for selection of candidates; or

(b) by the Government from employment under the Government.

(2) A person shall be disqualified for appointment by direct recruitment, if he or she,-

(a) has more than one spouse living ;

(b) has been dismissed or removed from service by any High Court, Central or State Government, Statutory Body or Local Authority ;

(c) has been convicted of an offence involving moral turpitude or has been permanently debarred or disqualified by any High Court or Union Public Service Commission or any State Public Service Commission or any Services Selection Board or Staff Selection Commission constituted under statutory provisions by the Government;

(d) has been involved in such other criminal case which in the opinion of the Appointing Authority is not suitable to discharge the functions as a Judicial Officer ;

(e) has been found guilty of professional misconduct under the provisions of the Advocates Act, 1961 or any other law for the time being in force ;

(f) has accepted or accepts dowry at the time of his marriage.

Explanation.- In this clause, the word "dowry" shall have the same meaning as assigned to it in Dowry Prohibition Act, 1961 (No.26 of 1961).".

8. In rule 10, in sub-rule (1), for the words "in order", the words "in the order" shall be substituted.

9. In rule 11,-

- (i) for sub-rule (c), the following sub-rule shall be substituted, namely :
 - "(c) It shall be competent for the High Court at any time during the period of probation, in the case of Civil Judge, Junior Division (Entry Level) to recommend discharge from service."
 - (ii) in clause (d), in second line, for the word "permanent" the words "a permanent" shall be substituted and after word "available" a comma shall be inserted and thereafter the word "confirmed", for the word "on", the word "to" shall be substituted.
 - (iii) after clause (d), the following clause shall be added, namely:-
 - "(e) A probationer shall continue as such until confirmed or discharged from service, as the case may be."
10. For rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-
"14. Pay, allowances and other conditions of service.- The dearness allowance of the members of Madhya Pradesh Judicial Service shall be governed by the Madhya Pradesh Judicial Services Revision of Pay (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2003 and the Madhya Pradesh Judicial Services (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules, 2022 as amended from time to time and the same Dearness Allowance formula as being adopted by the Central Government shall be followed.
 11. The existing rule 15 is deleted and in its place, the existing rule 16 is renumbered as rule 15.
 12. For rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-
"16. Resignation and Execution of Bond.-
 The candidate on appointment on probation, shall execute a 'Bond' in the prescribed format for a sum of Rs. Ten Lakhs and also give an undertaking that, after joining service he shall serve for a minimum period of five years. In case he resigns from service or leaves service in any other manner, before the above mentioned period or in case of breach of any of the conditions of the 'Bond', the 'Bond' would be liable to be forfeited and he shall pay the 'Bond' amount of Rs. Ten Lakhs:

Provided that where the officer with prior permission tenders resignation, for accepting a job in the Central Government or the State Government of Madhya Pradesh, he may not be required to pay the 'Bond' amount."

13. Rule 16A and 16AA shall be deleted.
14. For rule 18, the following rule shall be substituted, namely:-
 "18. **Deputation.-**
 Any member of the service, with the concurrence of the High Court, may be appointed on deputation, for a period not exceeding four years continuously, to perform the duties and obligations of any posts of the Central Government or the State Government, or for the post/service of any other organization, which is wholly or partly owned or controlled by the Central Government or the State Government."
15. For rule 19, the following rule shall be substituted, namely:-
 "19. **Power to relax.-**
 Where the Hon'ble Chief Justice is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case or class of cases, he may for reasons to be recorded in writing dispense with or relax the particular rule to such an extent and subject to such exceptions and conditions as may be deemed necessary:
 Provided that as and when any such a relaxation is granted by the Hon'ble Chief Justice, the Governor shall be informed of the same."
16. For rule 20, the following rule shall be substituted, namely:-
 "20. **Interpretation.-**
 If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the High Court shall be final."
17. After rule 20, the following rule shall be added, namely:-
 "21. **Repeal and Saving.-**
 The Madhya Pradesh Judicial Service (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UMESH PANDAV, Secy.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2023

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 3106-इक्कीस-ब-(एक)-2023.- "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) दिनांक 23 जून 2023 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1994 में निम्नानुसार

1. प्रस्तावित नियम 5 में उप-नियम (4) के स्थान पर "(4) मुख्य परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम कुल 50 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को कम से कम कुल 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है तथा सकल रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है।" पढ़ा जाए।
2. प्रस्तावित नियम 5 के उप-नियम (9) में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बाद (1974 का 2) पढ़ा जाए तथा उप-नियम (10) में शब्द "ए.पी.सी" को शब्द "ए.सी.पी" पढ़ा जाए।
3. प्रस्तावित नियम 6 अ में दूसरी पंक्ति में शब्द प्रमस्तिष्क घात का लोप किया जाए तथा परन्तुक में शब्द "रिक्त" के स्थान पर "रिक्ति" पढ़ा जाए।
4. प्रस्तावित नियम 7 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए।
(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी तथा टीप (दो) में शब्द में अंत में शब्द "प्रतिशत से कम होगी" के स्थान पर शब्द "प्रतिशत से कम नहीं होगी" पढ़े जाए।
5. प्रस्तावित नियम 8 के उप-नियम (1) में तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रस्तुत करे" के स्थान पर शब्द "प्रस्तुत करने" तथा चौथी पंक्ति में शब्द "प्रयोग करे" के स्थान पर शब्द "प्रयोग करने" पढ़ा जाए तथा (1) (ख) में शब्द "उपस्थिति" को "उपस्थित" पढ़ा जाए तथा उप-नियम (2) के खण्ड (घ) में "संलिप्तपाया" को "संलिप्त पाया" पढ़ा जाए एवं (ड.) में शब्द "कदाचारण" को शब्द "कदाचरण" पढ़ा जाए। उपनियम (2) के खण्ड (च) के नीचे स्पष्टीकरण में "दहेज निषेध अधिनियम 1961" को "दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961" पढ़ा जाए।

6. प्रस्तावित नियम 11 में उप-नियम (एक) (ग) में शब्द "कन्ठि" को शब्द "कनिष्ठ" तथा शब्द "सिफरिश" को शब्द सिफारिश" पढ़ा जाए एवं उप-नियम (तीन) में शब्द "नकर" को शब्द "न कर" पढ़ा जाए।
7. प्रस्तावित नियम 18 में शब्द "उच्च न्यायायल" को शब्द "उच्च न्यायालय" पढ़ा जाए।
8. प्रस्तावित नियम 19 में शब्द "शिथिल करे" को शब्द "शिथिल कर" एवं परन्तुक में शब्द "राज्यपाल के" को शब्द "राज्यपाल को" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2023

शुद्धि-पत्र

फा.क्र.-3207-इक्कीस-ब(एक)-2023.- राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2134/XXI-B(One)/2023, दिनांक 14 मई, 2023 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, नियम 2 में उप-नियम (1) में शब्द "an" के स्थान पर शब्द "and" एवं नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (v) में शब्दों "The Principal Registrar" के स्थान पर शब्दों "The Principal Registrar, ILR (ex-officio)" पढ़े जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव, सचिव.